भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *273
दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत सहारनपुर में पेयजल आपूर्ति

***273. श्री इमरान मसूदः**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे चरण के अंतर्गत पाइपलाइन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल आपूर्ति प्रदान करने हेतु सहारनपुर जिले में कितने गाँवों की पहचान की गई है;
(ख) इस मिशन के पहले चरण के अंतर्गत कितने गाँवों में उक्त कार्य प्रारंभ किया गया है और उन गाँवों के नाम क्या हैं जहाँ शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;
(ग) उक्त मिशन के पहले चरण के अंतर्गत संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा जिन गाँवों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की गई है, उनका ब्यौरा क्या है और यदि इन सड़कों की मरम्मत नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं;
(घ) उक्त मिशन के पहले चरण की कार्यान्वयन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या कार्य किए जाने के दौरान किसी कार्यान्वयन एजेंसी को प्रतिस्थापित किया गया था या काली सूची में डाला गया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत सहारनपुर में पेयजल आपूर्ति के संबंध में श्री इमरान मसूद द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *273 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ख): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश भर के सभी गांवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन एवं कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर अनेक परियोजनाएं साथ-साथ कार्यान्वित की जाती हैं।

इसके अलावा, जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों, सूखा प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पड़ने वाले गांवों, आकांक्षी जिलों के गांवों, एससी/एसटी बहुल क्षेत्रों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) गांवों और जापानी एन्सेफलाइटिस/एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (जेई/एईएस) प्रभावित जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है।

दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा प्रदान करने हेतु बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव पर ध्यान देने के साथ मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन को कुल वर्धित परिव्यय के साथ 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.71%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों के सामूहिक प्रयासों से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 12.44 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 05.08.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.68 करोड़ (81.00%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, उत्तर प्रदेश में, 5.16 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। तब से, राज्य में लगभग 236.15 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 05.08.2025 तक, राज्य के

267.21 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 241.33 लाख (90.31%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 4,525 (0.97%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। तब से, जिले के लगभग 4.37 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 05.08.2025 तक, उक्त जिले के कुल 4.68 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 4.41 लाख (94.39%) ग्रामीण परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। सहारनपुर जिले के 1,258 गांवों में से 1103 गांवों में कार्य शुरू हो चुका है और 72 गांवों में कार्य शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि भूमि उपलब्ध नहीं है। यह सूचित किया गया है कि 366 गांवों में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और इनमें से 245 गांव एचजीजे प्रमाणित हैं।

(ग): जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उन गलियों अथवा सड़कों की मरम्मत अथवा निर्माण करना शामिल है जो जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाते समय प्रभावित होती हैं और जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों को होने वाली किसी कठिनाई से बचने के लिए राज्यों को सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण जल योजनाओं को इस प्रकार से शुरू करें कि सड़कों/राजमार्गों जैसी अवसंरचना को न्यूनतम क्षति हो और जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए पाइपलाइन बिछाते समय क्षति होने पर सड़कों/राजमार्गों को तत्काल ठीक किया जाए।

इसके अतिरिक्त, मिशन के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संविदा दस्तावेजों में अपेक्षित दंड खंड शामिल करने की भी सलाह दी गई है ताकि मिशन के कार्यान्वयन में विलंब से बचने के लिए एजेंसियों को हतोत्साहित किया जा सके। उल्लेख किये गए अनुसार, जल राज्य का विषय होने के कारण, अन्य बातों के साथ-साथ सड़कों की मरम्मत सहित जल जीवन मिशन से संबंधित प्राप्त जन शिकायतों को शीघ्र निपटाने के लिए संबंधित राज्यों को भेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, जल जीवन मिशन के विभिन्न कार्यों और घटकों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने तथा राज्य के संबंध में प्राप्त जन शिकायतों का निवारण करने के लिए आवधिक आधार पर क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से नियमित समीक्षाएं भी की जाती हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि सहारनपुर में 460 गांव ऐसे हैं जहां कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/पुन:स्थापना की गई है। इसके अलावा, 643 गांवों में सड़कों को आंशिक रूप से ठीक करके इन्हें वाहन योग्य बनाया गया है और पाइप बिछाने तथा हाइड्रोटेस्टिंग के बाद, सड़कों को पूरी तरह से ठीक किया जाएगा।

(घ) और (ङ): अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के ब्यौरे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियों की संख्या और नाम शामिल हैं, भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि सहारनपुर में तीन (03) कार्यान्वयन एजेंसियां हैं और कार्य की धीमी प्रगति के कारण 391 गांवों को एक एजेंसी से अलग करके दूसरी एजेंसी को आबंटित कर दिया गया है।

****